

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 931वी बैठक दिनांक 20.01.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसू चित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1419/2025	1(a)	जबलपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/574/2024	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1357/2025	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1600/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
5.	P2/1762/2025	1(a)	श्यापुर	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1106/2025	1(a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
7.	P2/1879/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
8.	P2/1973/2025	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
9.	P2/529/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/2098/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/2096/2025	1(a)	श्यापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

12.	P2/2097/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/2095/2025	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	10917/2023	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/72/2024	1(a)	ग्वालियर	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/1947/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
17.	P2/1948/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	9988/2023	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	10104/2023	2(a)	सिंगरौली	Coal Washer Plant	ToR संशोधन अनुशंसित नहीं	निरस्त
20.	2689/2015	1(a)	बालाघाट	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
21.	P2/1764/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	P2/1945/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

1. Proposal No.SIA/MP/MIN/518979/2025, Case No P2/1419/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for production capacity of Stone/Gitti 19287 M3/Year, M-Sand 8265 M3/Year, Murum 2359 M³/Year, at Khasra No. 212 Part, Village- Mahgawan, Tehsil- Jabalpur District- Jabalpur (MP) by Shri Ashish Kumar Nayak Residence – 33/A, Bramhrishi Colony, Saket Dham Road, Gwarighat, District - Jabalpur & State - Madhya Pradesh

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 एवं 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 एवं 805वी बैठक दिनांक 26.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर द्वारा आदेश क्र. 3166 दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2. Proposal No.SIA/MP/MIN/521496/2025, Case No. P2/574/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.90 ha. for production capacity of 35625 m3/Year, at Khasra No. 96/1, Village- Agariya, Tehsil- Goharganj, District- Raisen (M.P) by Shri Shahrukh Khan, Add- Simrai, Post Obaidullaganj, Tehsil- Goharganj, District- Raisen (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 6300-01 दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. Proposal No.SIA/MP/MIN/551988/2025, Case No. 1357/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of Area - 2.0 Ha., for production capacity of 50,004 cum/year (Gitti-15,001 cum/year and M-Sand-35,003 cum/year), at Khasra No.- 857, at Village- Garetha, Tehsil- Pichhore, District. - Shivpuri (M.P.) by Shri Bhanu Jain, R/o - Ward No. 14, Old Nagar Palika Choraha, Khaniyadhana, Shivpuri, Madhya Pradesh - 473990

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 5589 दिनांक 09.05.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

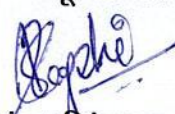
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

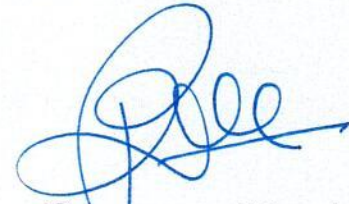
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

4. Proposal No.SIA/MP/MIN/538839/2025, Case No. P2/1600/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0ha. Production 12,350 Cum/Year (Gitti 9,500 Cum/year & M-Sand-2,850 Cum/year), at khasra No. 115/2 & 123, Village- Kadwaliya, Tehsil-Barwah, District khargone, (M.P) by Shri Kawaljeet Singh Chhabra, S/O- Shri Balveer Singh Chhabra, R/O -32/1, Vinoba Marg, Tehsil- Barwaha, District-Khargone (M.P)-45111

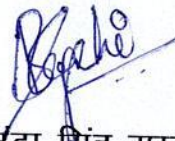
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

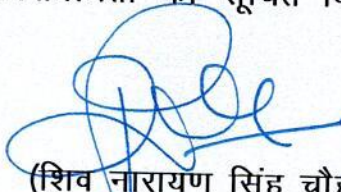
“ समिति द्वारा उपरोक्त आदेश का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में संवेदनशील बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए गैर खनन क्षेत्र छोड़ने पर लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग खनन योग्य उपलब्ध नहीं होता है जो कि आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया है।

इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिसूची की अनुशंसा नहीं की जाती है तथा प्रकरण को निर्णय हेतु सिया को अग्रणीत किया जाता है।’

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5. Proposal No.SIA/MP/MIN/537887/2025, Case No P2/1762/2025 Prior Environment Clearance for Soil Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha, for production capacity of 3,000 cubic meters (as per DEIAA EC), at Khasra no. 982, Village Nagda Tehsil Sheopur, District – Sheopur (M.P.) by Shri Jeetendra Mangal, Near Axis Bank, Shivpuri Road, Sheopur (M.P.) – 476337

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर द्वारा लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 6768 दिनांक 23.07.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.07.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

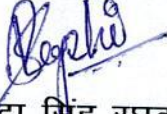
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

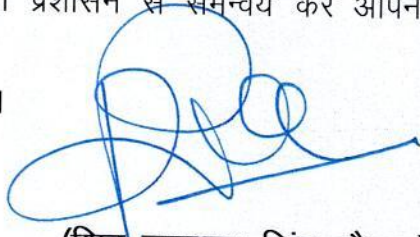
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

6. Proposal No.SIA/MP/MIN/554360/2025, Case No. P2/1106/2025 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 7.890 ha. for production capacity of (Expansion from Limestone Expansion from 200000 TPA to 400000 TPA), at Khasra No. 7 P, 8, 9, 10, 11 P,12,13,14,16 and 17, Village- Jamuwani Khurd Tehsil- Vijayraghavgarh District Katni (M.P.) by Shri Satrugan Prasad Tiwari, Authorized Signatory, SNS Minerals Private Limited, Sunderson house NH 7 Rewa Road Maihar Satna M.P.

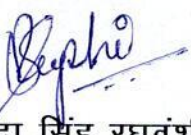
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

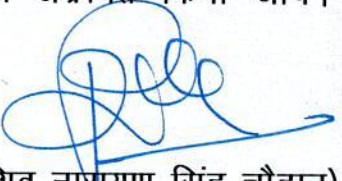
" The Committee have discussed the case and reviewed EIA report and CCR . The EIA report for expansion and CCR for compliance of EC condition for existing capacity reveals that PP is complying the EC conditions for present production capacity, however the proposed Capacity Expansion from 2,00000 TPA to 4,00000 TPA no additional mitigative measures are proposed in the EIA/EMP report. It is evident that mining activities generates particulate emission and noise that can be minimized only through plantation; water sprinkling etc i.e. limited pollution control measures are available. In this case the proposed production is just double of the existing production capacity with no extra pollution mitigative measures/plans etc.

In view of above facts, the committee is of considered opinion not to recommend case for proposed expansion from 2,00000 TPA to 4,00000TPA, submitted for necessary orders at SELAA end.'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा ही प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये प्रदूषण संबंधी पैरा मीटर/ mitigative measures के आधार पर इस प्रकरण में क्षमता विस्तार पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जा सकती है क्या। यदि नहीं की जा सकती है तो SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से उत्पादन क्षमता विस्तार के संबंध में पड़ने वाले अतिरिक्त pollution mitigative measures/plans की जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का परीक्षण कर प्राधिकरण को स्पष्ट अनुशंसा के साथ अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

7. Proposal No.SIA/MP/MIN/519089/2025, Case No. P2/1879/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.0 ha. for production capacity of 33598 cum per year, at Khasra No. 665/2, Village- Nataram, Tehsil Sitamanu District- Mandsaur (MP) by Madhusudhan Patidar, Owner, Richhalamuha, tehsil - DaloudaDisrt-Mandsaur (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

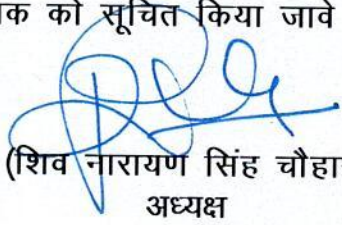
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है एवं लीज क्षेत्र के अंदर क्रेशर भी परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के लीज क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में SEAC द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज क्षेत्र में पूर्व में किसके द्वारा खनन कार्य किया गया है इसके उपरांत प्रकरण का परीक्षण कर प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/545622/2025, Case No. P2/1973/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for production capacity of Gitti-2000 cubic meter per annum & M-Sand-18002.7 cubic meter per annum, at Khasra No. 764, 765/2, Village- Dewal Tehsil- Bina District Sagar (M.P.) by Shri Devendra tomar, Owner, S/o Lokman Tomar 330 Pagara Gram, Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

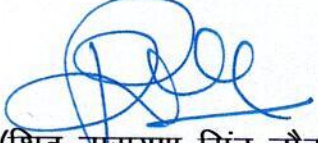
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज फाईल के आधार पर परिवेश पोर्टल पर दर्शित लेयरिंग अनुसार खदान क्षेत्र से 110 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की सीमा परिलक्षित है। जबकि प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र में 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र नहीं होने का लेख किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में SEAC द्वारा वनमण्डलाधिकारी जिला सागर से खनन क्षेत्र की वन क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये, यदि वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित है तो संभागीय आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त की जाये, इसके उपरांत प्रकरण का परीक्षण कर प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

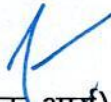

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9. Proposal No.SIA/MP/MIN/523701/2025, Case No.P2/529/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.70 ha. for production capacity of Stone (Gitti)-14,000 Cu.mt./Year, M-sand- 14,000 Cu.Mt./Year & Overburden- 6,908 Cu.mt./Year, at Khasra No. 83, Village - Jhigadi, Tehsil - Barwaha, District - Khargone (M.P.) by Smt. Manju Sharma W/o Shri Rajendra Sharma R/O- 16, Radhakrishnan Colony, Barwani District Barwani (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा आदेश क्र. 1375 दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. Proposal No.SIA/MP/MIN/558302/2025, Case No. P2/2098/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., for production capacity of Murum- 5000 m3, Gitti-20000 m3 & M-Sand -30000 m3, at Khasra No. 163, at Village- Bhawangarh, Tehsil Sitamau, District- Mandsaur (M.P.) by Shri Priyanshu Munya, Partner, Sunrise Industries, Suwasara, Tehsil Suwasara, District Mandsaur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. I/431910/2025 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले (नैचुरल ड्रेन) से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

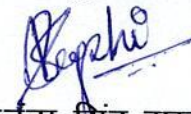
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

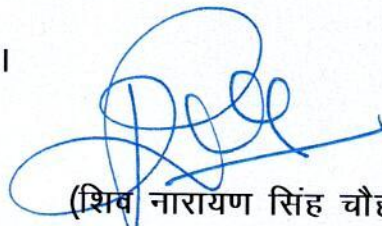
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No.SIA/MP/MIN/558401/2025, Case No. – P2/2096/2025 Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.250 Hectare, for production capacity of 20,000 Cubic Meter, at Khasra No. 76/1/2/3 in Village – Latawani, Tehsil – Barauda, District- Sheopur (M.P.) by Shri Shivam Dandotiya, Railway Colony, Ward No. 08, Sheopur (M.P.)- 476337

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर द्वारा आदेश क्र. 9219 दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

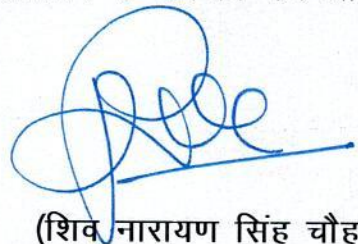
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुर्नदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12. Proposal No.SIA/MP/MIN/558207/2025, Case No. P2/2097/2025 Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Hectare, for production capacity of 13,000 Cubic Meter (Gitti- 8,000 m3 & M-Sand - 5,000 m3/year), at Khasra No. 48/1, 48/2, in Village – Peepakhedi, Tehsil – Khilchipur, District- Rajgarh (M.P.) by Shri Balu Singh, Village Ranara, Tehsil Khilchipur, District Rajgarh (M.P.) 465679

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर द्वारा आदेश क्र. I/395699/2025 दिनांक 28.07.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

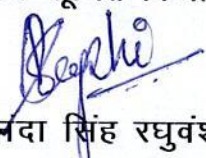
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

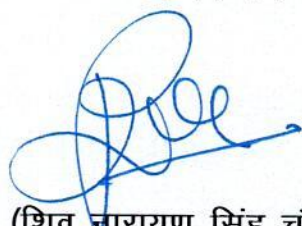
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. Proposal No.SIA/MP/MIN/546092/2025, Case No. P2/2095/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.755 ha. for production capacity of 25,000 m3/year, at khasra No. 96/1/2, (S) 96/1/4, (S) एव 96/1/5, Village - Panari, Tehsil- Budni, District- Sehore (M.P.) by M/s. Mundan Construction Co., Shri Devendra Choudhary, R/o Khasra no- 114, Jawahar Khera, Budni road, Budni, Sehore- MP

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा आदेश क्र. 941 दिनांक 06.03.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.03.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

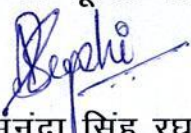
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

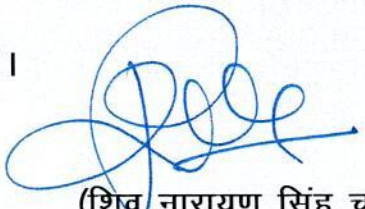
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/520718/2025, Case No 10917/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.424 ha. for production capacity of 38190 cum per year, at Khasra No. 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2, Village-Biradei, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP) by M/s Mahamaya Stone, LLP, Partner Shri Alok Singh, R/o Circle PiprahiMauja Nakwar Pancha Hanumana, District-Rewa (MP)- 486335

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 एवं 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 एवं 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा द्वारा आदेश क्र. 790 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.02.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नदी से न्यूनतम 200 मीटर "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 40 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No.SIA/MP/MIN/520194/2025, Case No P2/72/2024, Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.65 ha., for production capacity of 6000 M3/Year, at khasra no. 947/1,948, Vill.- Jakhauda, Teh – Ghatigaon, Distt. Gwalior (M.P.) by Shri Kuldeep Dubey R/o Near Shubham lodge, Subhash Colony, Guna, Madhya Pradesh-473001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 एवं 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 एवं 820वी बैठक दिनांक 19.08.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 71023-25 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुगंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

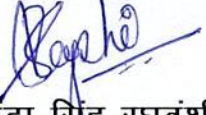
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

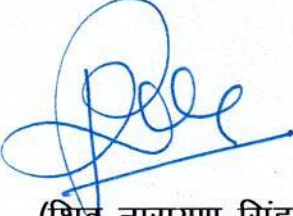
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

16. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/542171/2025, Case No.: P2/1947/2025; Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential cum Commercial Project "Victoria Prangan" at Khasra No. 215/1, 216/1, 217/1/2, 218/2, 219/2 at Village Gadra Khedi, Tehsil Malharganj & District Indore (M.P.) Total Project Area 8180 Sqm. (0.818 Ha.) Built up Area- 36382.66 sq mt., by Shri Varun Ahuja, Partner, M/S Virtuoso Infra Meditech LLP, Opposite KD Care Hospital, 13-Saket Nagar, Street No. 1, Tilak Nagar, Indore, Distt. - Indore (M.P.) 452018.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है।

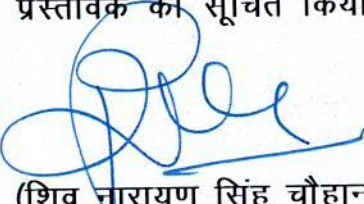
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रश्नाधीन खदान में गूगल ईमेज के आधार पर काफी संख्या में पेड़ परिलक्षित हैं। अतः उक्त क्षेत्र में कितने पेड़ हैं, किस प्रजाति के हैं एवं उनके संरक्षण के क्या उपाय किये गये हैं तथा कितने पेड़ों को काटा जायेगा एवं उसके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण कहा किया जायेगा के संबंध में जानकारी का अभिप्रमाणीकरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर निगम भोपाल से कराया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईएमपी में परियोजना Residential & Commercial उपयोग हेतु बताई गई है जबकि T&CP मात्र Residential हेतु जारी की गई है। उक्त संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये तथा यह भी सूचित किया जाये कि प्रकरण में SEAC द्वारा स्पष्ट अनुशंसा (Recommended Or Not Recommended) के साथ प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

17. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/541316/2025, Case No.: P2/1948/2025; Prior Environment Clearance for proposed construction of Residential Project "Leeds Paradise(Gajra)" at Khasra no. 111/1/1/1, 111/1/2/1, 111/1/2/2, 111/1/2/3/1, 113/2, at Village Bada Bangarda, Tehsil Malharganj, District Indore (M.P.) 452003. Total Project Area 18170 sq. mt., (1.817 Ha.) Built up Area – 29057.38 sq. mt., by Shri Aalish Jain, Director, M/S Leeds Developers And Buildcon Private Limited, 123-B, Chatrapati Nagar, Aerodrum Road, Jain Mandir ke pas, Indore, Distt.- Indore (M.P.)- 452003

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. प्रस्तावित प्रकरण आवासीय परियोजना "Leeds Paradise(Gajra)" खसरा क्रमांक 111/1/1/1, 111/1/2/1, 111/1/2/2, 111/1/2/3/1, 113/2, ग्राम बड़ा बंगार्दा, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में विकसित किए जाने हेतु श्री आलिश जैन, निदेशक, मेसर्स लीड्स डेवलपर्स एंड बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, 123-बी, छत्रपति नगर, एयरोड्रम रोड, जैन मंदिर के पास, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
2. प्रस्तावित परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 18,170 वर्ग मीटर तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) 29,057.38 वर्ग मीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 02 से 16 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

SN	Information Required	Details
1.	Project Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/541316/2025.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

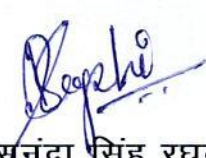
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

2.	Project Name/Activity	SHRI AALISH JAIN, DIRECTOR, M/s LEEDS DEVELOPERS AND BUILDCON PRIVATE LIMITED, 123-B, Chatrapati Nagar, Aerodrum Road, Jain Mandir ke pas, Indore(M.P.) – 452003. Prior Environment Clearance for M/s Proposed construction of " Leeds Paradise (Gajra)" by Leeds Developers And Buildcon Private Limited is proposing a Residential Project “ Leeds Paradise (Gajra)” at Khasra no. 111/1/1/1, 111/1/2/1, 111/1/2/2, 111/1/2/3/1, 113/2, at Village Bada Bangarda, Tehsil - Malharganj, District- -Indore (M.P.)- 452003, Built up area- 29057.38 sq.m, Plot Area - 18170 sq.m, Proposed Net Plot Area- 16732 sq.m.
3.	Project Proposal For	New.Proposed construction of " Leeds Paradise (Gajra)" by Leeds Developers and Buildcon Private Limited.
4.	Project Cost.	4337.18Lakhs.
5.	Description of Project	Leeds Developers And Buildcon Private Limited is proposing a Residential Project “ Leeds Paradise (Gajra)” at Khasra no. 111/1/1/1, 111/1/2/1, 111/1/2/2, 111/1/2/3/1, 113/2, at Village Bada Bangarda, Tehsil Malharganj, District Indore, Madhya Pradesh.
6.	SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.	PCB ID: 170949, Consent No: CTE-62689, Outward No: 123342, 09/08/2025, Establish- up to 30/06/2030. Residential Flatted (Building Project- Built-up area [FAR + Non-FAR] - 29057.38 Square Meter).
7.	Building Permission.	IMC Zonw/Ward 16 / 15 issued vide letter no. PMT/IND/0152/2213/2025 dated 30th May 2025. At Khasra Bada Bangadda , KH NO. 111/1/1/1, 111/1/2/1, 111/1/2/2, 111/1/2/3/1, 113/2
8.	Declaration No Construction start at site	No Construction start at project site Affidavit Submitted letter dated 24.03.2025.
9.	Location Lat./Log.	22°45'38.10"N 75°47'17.09"E 22°45'36.34"N 75°47'20.61"E 22°45'33.58"N 75°47'15.85"E 22°45'33.39"N 75°47'19.61"E


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

10.	Water Supply NoC	➤ CGWA NOC dt. 05.11.2025 ➤ PP Apply IMC Indore letter No. Nil dated 29/03/2025 (Request letter Copy uploaded on Parivesh Portal). ➤ PP request vide affidavit dated 29/08/2025 (Request letter Copy uploaded on Parivesh Portal).
11.	MSW NoC	➤ PP Apply IMC Indore letter No. Nil dated 29/03/2025 (Request letter Copy uploaded on Parivesh Portal). ➤ PP request vide affidavit dated 29/08/2025 (Request letter Copy uploaded on Parivesh Portal).
12.	Extra Treated water NoC	➤ PP Apply IMC Indore letter No. Nil dated 29/03/2025 (Request letter Copy uploaded on Parivesh Portal). ➤ PP request vide affidavit dated 29/08/2025 (Request letter Copy uploaded on Parivesh Portal).
13.	T&CP Approval	D.N.INDLP 14062413798 Indore dated 04/12/2024.
14.	Article of Association details	M/s LEEDS DEVELOPERS AND BUILDCON PRIVATE LIMITED,
15.	Memorandum of Association copy detail	LEEDS DEVELOPERS AND BUILDCON PRIVATE LIMITED, Copy upladed Dated 18/04/2023
16.	Number of vehicle to be parked	Open Parking: 48 ECS Stilt Parking: 184 ECS. Total Proposed Parking: 232 ECS.
17.	Water requirement details	Total water requirement – 158.52 KLD Fresh water requirement – 99.55 KLD Recycled/Treated water requirement – 58.97 KLD.
18.	DG set capacity	1 no of DG set of 65 KW will be provided as a backup power source.
19.	Rain water Harvesting Pits.	2 No.
20.	Environmental Consultant Change	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/ 07/2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 931वीं बैठक दिनांक 20.01.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्न बिंदु i से xx को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- i. परियोजना का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी वैधानिक अनुमतियाँ/स्वीकृतियाँ एवं आवश्यक **NOC** संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से प्राप्त कर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेजों की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त अनुमति परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- ii. परियोजना स्थल के चारों ओर हरित पट्टी (Green Belt) विद्यमान है जिसके संरक्षण सुनिश्चित करते हुए ही समस्त कार्य किया जाए।
- iii. Rain Water Harvesting Pits की संख्या परियोजना के कुल क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) तथा जल आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित की जाए। वर्तमान में प्रस्तावित 02 RWH Pits अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, अतः सक्षम प्राधिकारी/मानक के अनुसार उपयुक्त संख्या में RWH Pits प्रदान किए जाए।
- iv. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
- v. परियोजना में Dual Plumbing System अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ताज़े जल (Fresh Water) एवं उपचारित अपशिष्ट जल (Treated Waste Water) के लिए पृथक-पृथक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाए।
- vi. प्रत्येक टॉयलेट ब्लॉक को उपचारित जल (STP Treated Water) से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि फ्लशिंग हेतु Fresh Water का उपयोग न हो।
- vii. STP से उपचारित जल का उपयोग केवल गैर-पेय (Non-potable) कार्यों हेतु किया जाए।
- viii. Fresh Water एवं Treated Water की सभी पाइपलाइनों को अलग-अलग रंग कोडिंग एवं स्पष्ट लेबलिंग के साथ बिछाया जाएगा, ताकि Cross-connection की संभावना न रहे।
- ix. प्रत्येक बहु-आवासीय ब्लॉक में Dual Plumbing का लेआउट प्लान प्रदर्शित किया जाएगा एवं रख-रखाव हेतु पृथक वाल्व एवं कंट्रोल सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा।
- x. उपचारित जल की गुणवत्ता CPCB/SPCB के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी तथा नियमित अंतराल पर जल गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए।

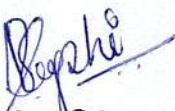
(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

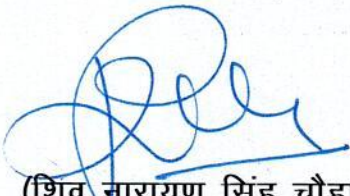
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- xi. **STP** से उत्पन्न उपचारित जल की मात्रा, पुनः उपयोग की मात्रा एवं **Fresh Water** की खपत का मासिक रिकॉर्ड संधारित किया जाए एवं पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।
- xii. यदि किसी समय उपचारित जल की उपलब्धता कम होती है, तो केवल आवश्यक सीमा तक **Fresh Water** का उपयोग किया जाएगा, परंतु **Dual Plumbing** व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए।
- xiii. परियोजना में रहने वाले निवासियों को **Dual Plumbing System** के उपयोग, सावधानियों एवं जल संरक्षण के संबंध में जागरूक किया जाए।
- xiv. **Dual Plumbing** एवं **STP** के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) हेतु पृथक एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे प्रणाली दीर्घकाल तक सुचारु रूप से कार्य करती रहे।
- xv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- xvi. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- xvii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- xviii. परियोजना स्थल के काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- xix. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- xx. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

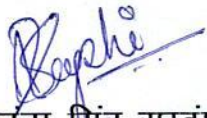
18. Proposal No.SIA/MP/MIN/473281/2025, Case no. 9988/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.943 ha. for production capacity of 14537 cum per annum, at Khasra No.356, Village Hanadehi Tehsil- Chhindwara District Chhindwara (M.P.) by Shri Taranjeet Bedi, Shyam Talkies, Narsinghpur Road, Chhindwara (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छिन्दवाड़ा द्वारा आदेश क्र. 171 दिनांक 09.02.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.02.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

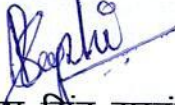
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

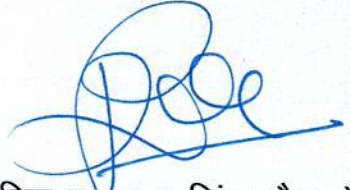
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

19. Proposal No.SIA/MP/CMIN/553772/2025, Case No. 10104/2023 Prior Environmental Clearance for the Proposed JPVL Coal Washery Plant proposed JPVL Coal Washery Plant in an area of 5.00 ha. for Production capacity of 1 MTPA, at Khasra No. Village Majhauri, Tehsil-Deosar, District Singrauli (M.P.) by Shri Rajneesh Gaur, Executive Joint President, M/s Jaiprakash Power Ventures Limited, Jaypee Group Amelia (north) coal mine Village - Majhauri Tehsil - Deosar District - Singrauli (M.P.) – 486886

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

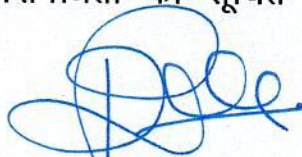
“ In view of above submission by PP, it is mentioned that ToR was issued to PP to transport coal from mine pit head to proposed washery through conveyor belt and PP had submitted EIA report to transport coal via road, therefore committee did not accept the proposal of washery.

In view of above facts, the proposal for amendment of ToR is not recommended and forwarded to SEIAA for necessary decision.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

20. Proposal No.SIA/MP/MIN/556518/2025, Case No. 2689/2015 Prior Environmental Clearance for Stone Mine in an area of 2.0 ha. for production capacity of 5000 cum per annum, at Khasra No.532, at Village-Salhe, Tehsil-Kirnapur, District Balaghat (M.P.) by SEEMA S SARASWAR, Lessee, Ward No.- 27 Circuit House Road Balaghat Transfer of Environment Clearance from Chandrashekhar Motghare to Smt. Seema Saraswar

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 851वी बैठक दिनांक 12.12.2025 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं समय-सीमा के अनुसार पूर्ण नहीं पाया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC में प्रस्तुत प्रत्येक छःमासी अनुपालन प्रतिवेदन की पावती रसीद भी अपलोड नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 एवं 2 की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

21. Proposal No. SIA/MP/MIN/522097/2025, Case No P2/1764/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 ha. for production capacity of Stone – 5000 cum per year and M-Sand 5000 cum per year, at Khasra No. 2057/8/2/4, Village- Khadi Tehsil Polaykalan District Shajapur (MP) by Shri Mahendrapal Singh Dodiya, R/o Village - Khadi, Tehsil - Polaykalan District Shajapur (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 840वी बैठक दिनांक 31.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 925वी बैठक दिनांक 24.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण के फार्म पार्ट-ए के सरल क्रमांक 25 में कंसलटेन्ट की जानकारी No बताई गई है जबकि सरल क्रमांक 25.1 में कंसलटेन्सी फर्म का नाम दिया गया है। फार्म के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 12.1 में मानक अनुसार नहीं है। पीएफआर रिपोर्ट की Executive Summary में प्रकरण बी-1 का बताया गया है जबकि प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। ईएमपी में Proper Source of Water नहीं दिया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण/जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 840वी बैठक दिनांक 31.10.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा आदेश क्र. 1872 दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरान्त ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

22. Proposal No. SIA/MP/MIN/550023/2025, Case No. P2/1945/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.50 ha. for production capacity of Stone (Gitti) 3900 m² /year & M-sand - 9100 m² /year), at Khasra No. – 753/1/2, 754/1/2, 755/1/2, 756/1/2, 757/1/2 & 758/1/2 (pvt. Land) Vill. Bangli, Tehsil- Gulana, District Shajapur (M.P.) by Shri MANOHAR SINGH GURJAR, Lessee, C/o Umrav Singh, 72, muradapurpathriya, muradapurpathriya, simrol, Shujalpur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 840वी बैठक दिनांक 31.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 925वी बैठक दिनांक 24.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर लीज क्षेत्र से एक नालीनुमा संरचना परिलक्षित है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त संरचना क्या एवं किस उद्देश्य से निर्मित की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण/जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 840वी बैठक दिनांक 31.10.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा आदेश क्र. 485 दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.03.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण

- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन व निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट -1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :-
 - a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
 - c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशानिर्देशों के अधीनमान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. For firefighting:-
 - a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required 2016 fire fighting arrangement should be made available on the project site as per NBC
 - b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
 - c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - <http://www.environmentclearance.nic.in/>

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 931वी बैठक दिनांक
20.01.2026 का कार्यवाही विवरण**

or <http://www.efclearance.nic.in/> and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, Gol at Bhopal and MPPCB.
26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.
28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.
30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.
31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal.
33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.